

4/6/8/

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parishad
Vineet Khand-1, Gorai Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300541, Fax : 91-522-2300543
E-mail : up_eia@yahoo.com

Ref. No. 2347 Parya/SEAC/61/2010/AD(V)

Date: 30 September, 2011

To,

Col. Ravi Sharma,
Executive Vice President
M/S SMM Agencies Pvt. Ltd.
9-B, "Hansalaya" A-5, Barakhambha Road,
New Delhi-110001

Sub: Regarding the environmental clearance for Integrated township "Jaipuria Sunrise Greens", NH-24 near village Shatpur, Bahimeta, Ghaziabad, U.P.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 25/06/2007, addressed to the Director, Directorate of Environment, Govt. of U.P. Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parishad, Vineet Khand-1, Gorai Nagar, Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the case and has been given to understand that:

1. Environmental Clearance is sought for Integrated Township "Jaipuria Sunrise Greens", NH-24, near village Shatpur, Bahimeta, Ghaziabad, U.P.
2. The total Plot area is 500 Acres. The land measuring 180 Acres has already been acquired and remaining 120 Acres is in the process of acquisition.
3. The DPR designed on 300 acres land has been approved by the Ghaziabad Development Authority, letter dated 29/11/2006.
4. A development agreement has been made between the project proponent and Ghaziabad Development Authority on 13/02/2007.
5. The proposal is covered under category 8b of the EIA notification dated 14/9/2006 and the amendments thereof.

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (Meeting held on 29/05/2008) the State Level Environment Impact Assessment Authority (Meeting held on 12/09/2011) has decided to grant the Environmental Clearance to the project proposals as above subject to the effective implementation of the following conditions:

General Conditions :

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured to obtain the no objection certificate from the U.P. Pollution Control Board before start of construction.

3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
4. The proposed land-use shall be in accordance to the prescribed land-use. A land-use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
5. All tree-felling in the project area shall be as permitted by the Forest Department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. It shall be ensured to obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. It shall be ensured to obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/inflammable/explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law. Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regard.
14. Suitable rainwater harvesting system as per designs of Ground Water Department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines/instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the trees.

24. The Green building concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code, 2005 shall be compulsorily ensured.
26. It is to ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
27. It is to ensure exploration of options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water and ground water etc.
28. It is to ensure usage of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
29. It shall be ensured to make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting, in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
32. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. It shall be ensured to prepare and present disaster management plan.
34. A report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology (R&D factors, etc.)
35. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (the above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
36. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
37. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra-Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
38. The 'green belt' design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential landuse. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
39. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
40. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
41. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority.
42. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
43. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adult (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
44. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
45. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.

71. Project proponents shall endeavor to obtain ISO 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purpose and compliance.

Specific Conditions:

1. Daily water requirements and waste-water generation should be as per the revised water balance submitted by project proponents during the presentation.
2. It shall be ensured that effluents are discharged out of project premises. Available water body shall be treated to the treated effluent during monsoon season.
3. Till such times as a comprehensive plan is not drawn up by the Gramin Land Development Authority for treatment and disposal of municipal solid waste and an approved EIA validity, it shall be the responsibility of the project proponents to ensure that municipal solid wastes are treated and disposed within their premises in accordance to the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000. It should be ensured that any arrangement for this purpose shall be duly authorized by Gramin Land Development Authority.
4. The conditions in the environmental development agreement dated 19/12/2007 made between G.O.R. and the Project proponents should be followed.

The Committee also suggested that the matter should be considered in the light of MoEF notification dated 16/12/2011 and referred to Government of India and State Government, U.P. under EP Act, 1986 for taking suitable action under law.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. Failing this the environmental clearance shall be deemed to be cancelled. Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity. In the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter. This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E)-dated 14.9.2006 and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary, SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Bhawan Pravasi Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Nodal Officer, SEIAA, Directorate of Environment, U.P. Lucknow.

(O.P. Varma)
Joint Director Cum Chief Appraiser

कार्यालय
पत्रिका आर-

संयुक्त

६३/जे०डी०/फा०स०-१४(गा०बाद)

रावा ने,

निदेशक

२२५

फा०स०

मुख्यालय
दिनांक: अगस्त

२१

लघुनग
२०१४

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:
मैसर्स एस०एम०वी० एजेन्सीज प्रा०लि० द्वारा स्लाट न०-जीएच-२ एन०एच०-२४ ग्राम शाहपुर वाघेटा, गाजियाबाद पर प्रस्तुत
ग्रुप हाउसिंग भवन हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

य०आई०डी०:
2014/2250/GZB/Ghaziabad/188/JD

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना के माध्यम से प्रस्तुत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोधीजनल अनापत्ति प्रमा-
निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानवियों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोलाहली गाजियाबाद रो कराया गया तथा उन्होंनी
दिनांक: 12-08-2014 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण गुण्डा अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी-आख्या दिनांक: 14-08-2014 अपा-
फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया तथा अपनी संस्तुती आख्या जावाह
को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है-

भवन की संरचना:-

1-कुल स्लाट एरिया-78947.68वर्गमीटर।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-19167.697वर्गमीटर।

3-प्रस्तावित अपर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-71141.270वर्गमीटर।

4-प्रस्तावित लोअर बेसमेण्ट कवर्ड एरिया-70376.760वर्गमीटर।

क्रम सं०	नाम ब्लाक एवं तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	कुल कवर्ड एरिया	भवन की ऊँचाई	स्टेयर केस की चौड़ाई(मी०)
01	टावर डी१, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२३ तल	626.639वर्गमी.	13577.778वर्गमी.	71.80मीटर	1.50 / 1.50
02	टावर डी२, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२३ तल	590.463वर्गमी.	12372.510वर्गमी.	71.80मीटर	1.50 / 1.50
03	टावर डी३, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२२ तल	606.394वर्गमी.	12792.811वर्गमी.	68.80मीटर	1.50 / 1.50
04	टावर डी४, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२२ तल	629.191वर्गमी.	12777.044वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50 / 1.50
05	टावर डी५, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२३ तल	684.229वर्गमी.	14577.804वर्गमीटर	71.80मीटर	1.50 / 1.50
06	टावर कै१, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९ तल	542.119वर्गमीटर	9729.276वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
07	टावर कै२, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९ तल	542.119वर्गमीटर	9729.276वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
08	टावर ए१, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२२ तल	649.410वर्गमीटर	13253.766वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50 / 1.50
09	टावर ए२, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२२ तल	649.410वर्गमीटर	13253.766वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50 / 1.50
10	टावर ए३, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
11	टावर ए४, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
12	टावर ए५, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
13	टावर ए६, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
14	टावर ए७, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
15	टावर ए८, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
16	टावर आ१, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	2209.540वर्गमीटर	26758.111वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50 / 1.5
17	टावर ए१, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२२तल	641.226वर्गमीटर	13129.222वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50 / 1.50
18	टावर ए१२, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+२२तल	641.226वर्गमीटर	13129.222वर्गमीटर	68.80मीटर	1.50 / 1.50
19	टावर टी१, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
20	टावर टी२, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	861.175वर्गमीटर	13298.906वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
21	टावर टी३, २बेसमेण्ट+स्टिल्ट+१९तल	551.789वर्गमीटर	9726.215वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50

संस्कृत निदेशक
लाभ एवं सुविधा मुख्यालय
संस्कृत विद्यालय

22	टावर आई1, 2बेसमेण्ट+स्टिल्ट+19तल	742.318वर्गमीटर	13037.673वर्गमीटर	59.80मीटर	1.50 / 1.50
23	कम्यूनिटी हाल 1.भूतल	311.550वर्गमीटर	311.550वर्गमीटर	3.0मीटर	2.0
24	कम्यूनिटी हाल 2.भूतल	237.207वर्गमीटर	237.207वर्गमीटर	3.0मीटर	2.0
25	कन्वीनीएन्ट शॉप, भूतल+प्रथम तल	674.320वर्गमीटर	1265.557वर्गमीटर	6.60मीटर	1.50 / 1.50
26	इ0डब्लूएस/एलआईजी, 2बेसमेण्ट+	790.917वर्गमीटर	8436.312वर्गमीटर	36.00मीटर	1.50 / 1.25
	भूतल+11 तल				

गवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट(एन0वी0सी0-2005आवासीय श्रेणी ५-४) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार दोनों बेसमेण्ट तथा स्टिल्ट का प्रयोग पार्किंग हेतु एवं शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परिसर में दो कम्यूनिटी हाल एवं कन्वीनीएन्ट शॉप भी प्रस्तावित हैं।

दौँचागत व्यवस्था :-

- 1-पहुँच मार्ग:- मानचित्रों में भूखण्ड के सामने रोड की चौड़ाई 24.0 मीटर प्रदर्शित है।
- 2-प्रवेश/निकास द्वारा- मानचित्रों में प्रवेश द्वारा/निकास द्वारा की चौड़ाई 6.50 मीटर प्रदर्शित है।
- 3-सैटबैक -परिसर में सैटबैक का विवरण निम्नवत है।

ए0-अग्रगाम-24.20मीटर।

वी0-प्रष्ठ भाग-15.0मीटर

सी0-पाश्व भाग प्रथम-15.0मीटर

डी0-पाश्व भाग द्वितीय-15.46 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्रस्तार 3.4.5 के अनुसार है। परिसर में चारों ओर अग्निशमन वाहनों हेतु वांछित न्यूनतम 9.0 मीटर मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। यह मार्ग सदैव अवरोध रहित (ओपन टू रॉफ) रखे जाने अनिवार्य होंगे। मोटरेबुल मार्ग एवं टावरों के मध्य खाली स्थान 60 टन भार वहन क्षमता के अनुसार समतल रखते हुए इस प्रकार बनाया जाना अनिवार्य होगा कि अग्निशमन विभाग की बड़ी गाड़ियों की पहुँच प्रत्येक टावर की प्रत्येक बालकनी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके जहां पर मानचित्रों में डोटिड लाइन से दर्शाया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवरोध न आये।

4-निकास मार्ग :- भवन के सभी तलों में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेपरकेस प्रस्तावित है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर इनकी चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए। पलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रत्येक टावर की एवं स्टेपर में 01 घण्टे फायर रेटिंग के फायर चैक डोर लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

• लिफ्ट:- न्यूनतम एक लिफ्ट को एन0वी0सी0 मानकों के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप में बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:- भवन में प्रत्येक पलैट में बालकनी का प्रविधान प्रस्तावित है जो एन0वी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :- नेशनल बिल्डिंग कोड आप इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना चाहिये हैं।

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशन्स):- भवन में फायर एक्सटिंग्यूशन्स आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना अपूर्वशक्ति है।

2-होजरील :- भवन में होजरील लैपिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना चाहिये है।

3-वेटराईजर :- भवन में वेटराईजर सिस्टम एन0वी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना चाहिये है।

4-यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम :- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट्स होज कैविनेट एवं उसमें होज तथा ब्रॉच पाईप तथा फायर सर्विस इन्ले

आई0एस0-13039:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना चाहिये है।

5-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- दोनों बेसमेन्ट तथा 45.0 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0वी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना चाहिये है।

6-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में मैन्यूअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0वी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

7-भूमिगत टैंक- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्यों हेतु 2,00,000 लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना चाहिये है।

8-पम्प-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित पम्प, एवं समान क्षमता का डीजल चालित पम्प, तथा 1

एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

9-टैरिस टैंक:- प्रत्येक टावर/ ब्लाक में भवन की टैरिस पर 60 मीटर से अधिक ऊँचाई के टावरों में 25,000 हजार ली एवं शेष टावरों में 10,

लीटर क्षमता का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना कराया जाना मानकों के अनुसार चाहिये है।

संयुक्त निवेश
भारत सर्विस मुख्यालय
न्यूयार्क, अमेरिका

10-स्मोक एक्सट्रेक्शन:- भवन के दोनों बेसमेन्ट हेतु पृथक-पृथक डक्ट बनाकर स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम एन०वी०सी० मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना चाहीय है। साधारण एक्झार्ट फैन स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम के विकल्प के रूप में अनुमत्य नहीं हैं।

11-एरिंजिट साइनेज़:- समूर्ण भवन में एरिंजिट साइनेज़ स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

12-पी०ए०सिस्टम:- समूर्ण भवन में पी०ए०सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी तलों के कॉम्पन एरिया में लाइडरपोर्कर लगाये जायें तथा पी०ए० सिस्टम का कन्ट्रोल सिव्च एवं माइक्रोफोन, एम्प्लीफायर नियन्त्रण कक्ष (कण्ट्रोल रूम/सुरक्षा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्यूनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आकर्षित सेवाओं से सावधित संचार सुविधा प्राप्त हो।

13-प्रेशराइज़ेशन प्रणाली:- प्रत्येक टावर में एक स्टेयर में एवं लिफ्ट आदि वॉच्छनीय स्थानों पर प्रेशराइज़ेशन प्रणाली का प्राविधान एन०वी०सी० 2005 के मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से कराई जायेगी।

14-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन में हैलीपैड का प्राविधान एन०वी०सी० मानक के प्रस्तर सी०-१० के अनुपालन में वॉच्छनीय है।

15-प्रशिक्षित स्टॉफ़:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसाधिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिरार एन०वी०सी०-2005 के प्रस्तर सी०-६ के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संआजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ़ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण एवं रावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्थीकृत प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स एस०एम०वी० एजेन्सीज़ प्राइलिंग द्वारा प्लाट नं०-जीएच-२ एन०एच०-२४ ग्राम शाहपुर वम्हेटा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित युप हाउसिंग भवन हेतु प्रोबेजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-२०१० तथा नेशनल बिलिंग कोड ऑफ इण्डिया-२००५ में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा अत्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानवित्र अदद।

(प्र०क०ए०सी०)
संयुक्त निरेक्षित प्राप्ति सावित्र
उ०५० लेखनामा
कृष्ण राव लेखनामा
लै. इ०३. २०१५

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरेट को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स एस०एम०वी० एजेन्सीज़ प्राइलिंग द्वारा प्लाट नं०-जीएच-२ एन०एच०-२४ ग्राम शाहपुर वम्हेटा, गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

Regd Post

X Wg Cdr

Tele: 011-23060231/5216

संक्रिया निदेशालय
वायु यातायात सेवाएँ
वायु सेना मुख्यालय
नई दिल्ली -110 106

Air HQ/S 17726/4/ATS (Ty BM – MMLXXVII)

05 Jun 15

M/s SMV Agencies Pvt Ltd,
C/o M/s Panchsheel Buildtech Pvt Ltd
H-169, Sector-63, Noida,
UP-201301

ISSUE OF NOC FROM AVIATION ANGLE FOR CONSTRUCTION OF BUILDING
BY M/S SMV AGENCIES PVT LTD NOIDA

1. Reference is made to your letter dated 23 May 15.
2. Annexed please find a copy of 'No Objection Certificate' on the subject issued vide Gol letter MoD No. Air HQ/S 17726/4/ATS (PC-MDCCLXVII)/Dy No. 382/F/D (Air-II) dated 09 Apr 15. You may please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,


(जे सिंहरावत)
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक औप्स (वा या से)

Annexure:- As stated (ink signed copy)

No. Air HQ/S. 17726/4/ATS(PC-MDCCLXVII)

Dy. No.382/F/D(Air-II)

Government of India/Bharat Sarkar

Ministry of Defence/Raksha Mantralaya

New Delhi, dated the 09/April, 2015.

To

**M/s S.M.V. Agencies Pvt. Ltd.
H-169, Sector-63, Noida,
G.B. Nagar(UP)-201301.**

**Subject: Issue of 'NOC' from 'Aviation Angle' for construction of building
by M/s S.M.V. Agencies Pvt. Ltd., Noida.**

Sir,

I am directed to refer to your application, dated 24th November, 2014 on the above subject and to say that after examining the application under Gazette of India SO 84(E) and other relevant orders on the subject, Air HQ has no objection from '**Aviation Angle**' with respect to **IAF airfield Hindan** for construction of **90 Meters** high group housing project at Plot No.GH-02, Khasra No.1441, 1461, 1463, 1464, 1466-1471, 1483-1488, 1491, 1492, 1496-1507, 1512-1515 and 1582 at village Shahpur Bumhetia, NH-24, Ghaziabad(UP) by M/s S.M.V. Agencies Pvt. Ltd., Noida, subject to the following conditions:-

- (a) **The NOC is from 'Aviation Angle' with respect to IAF airfield Hindan and cannot be treated as a document for claim of title of land on which building is proposed.**
- (b) **No Objection to such construction shall also be obtained separately from any other defence establishment in the vicinity of such construction and any other relevant government authorities.**
- (c) The vertical extent (highest point) of the buildings proposed at Latitude 28° 39' 12" N and Longitude 77° 28' 35" E shall not **exceed 303 Meters** above mean sea level or **90 Meters** above ground level **whichever is lower**. No extension or structure permanent or temporary (eg. Antennas, munties, lift machine room, overhead water tank, cooling towers, sign boards etc.) shall be permitted above the cleared height.
- (d) Standard obstruction lightings as per IS 5613 notification and International Civil Aviation Organization (ICAO) standards as stipulated in ICAO-Annex-14 is to be provided by the company. The lights shall be kept 'ON' at all times. Provision shall be made for standby power supply to keep the lights 'ON' during power failure. Company shall carry out periodic maintenance of the lights to keep them in serviceable and visible condition.
- (e) Closed garbage containers shall be used in the building complex In order to avoid bird activity.

(f) No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of an airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.


(g) The commencement, completion of works inclusive of installation of obstruction lights shall be intimated to **AOC, Air Force Station Hindan and HQ WAC, AF CATCO, Subroto Park, New Delhi**. Failure to render these certificates within the stipulated time shall lead to cancellation of NOC.

(h) The validity of this NOC is five years from the date of issue. If the construction is not completed within five years of issue or found to be in deviation from original proposal, the NOC shall be deemed null and void. It will be the responsibility of the applicant to obtain fresh NOC for the proposal.

(i) Required security clearance should be obtained through MHA/IB of the foreign Nationals/Indian representative employed/to be employed by the company in India.

2. You are also requested to obtain 'No Objection' from other concerned Government Organization/Agencies as required.

Yours faithfully,


(A.S. Chowdhury)

Under Secretary to the Government of India.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रिक्प मवना तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
शोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या :

F95604

सं-१/एन०ओ०सी०/जी-७३३/२०१२

दिनांक:

२५.१२.१२

सेवा में

गो. रमेश प्रसाद योगी, प्र० लि०,
८० सी, हस्तालय, १५ बड़ाबाज़ रोड,
नई दिल्ली-०१

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु विशिष्ट इकाई की प्रत्पादन शपथ में विस्तार, शायांकों के नियन्त्रण एवं अनापति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक: सं-१/एन०ओ०सी०/जी-७३३/२०१२ को संहेत्र लौं। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्घोग आप्रवरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सहार्द अनापति प्रीकृत की जाती है।

न. अनापति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्माता छिह्ना जा रहा है:-

(क) स्थल: जयपुरिया सरोडेज भीन इटीओटेक ट्रान्शिप
परियोजना, एन०एच०-२४, ग्राम शहर, बमहीदा,
गोपीनाथनगर

(ख) उत्पादन: भूखण्ड क्षेत्रफल-१२१४०४०.५० वर्गमीटर में ३६९९ प्लॉट की आवासीय कॉलोनी,
२३११ आवासीय प्लॉट, कम्बूनीटी सेक्टर, इस्टाटिस्टिक्स मूल एवं की स्थिति

(कुल क्षेत्रफल = १४० एकड़)

(४) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : सूचना

(५) प्रयुक्त ईधन : डी०जी० सेट हेतु डॉजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरिता पटिठङ्ग, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संरचना तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियंत्रण प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि थेंड शोर्ड से जल-एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमेशे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित सुदृढकरण संयंत्र तथा निमाण काय आपूर्त के लिये दिये गए आदेश की प्राप्त इस कार्यालय में दिनांक ३०/६/२०१२ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

- ७— मैसर्स एस०एम०वी० एजेन्सी प्रा० लि० द्वारा जयपुरिया सनराइज ग्रीन इन्टीग्रेटेड टाइनिंग परियोजना एन०एच०-२४, ग्राम शाहपुर बमहेटा, गाजियाबाद द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल १०० एकड़ में इन्टीग्रेटेड टाइनिंग परियोजना की स्थापना की जायें।
- ८— संस्था द्वारा परियोजना से जनित कुल घरेलू उत्प्रबाह २६६६ घनमीटर/दिन हेतु कुल ७५०० घनमीटर/दिन क्षमता के ३, कुल ४५०० घनमीटर/दिन क्षमता के एस०टी०वी० की स्थापना की जाये तथा शुद्धिकृत उत्प्रबाह को यंथासंग्रह सिंचाई, फ्लशिंग एवं डी०जी० सेट कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जायें। शेष शुद्धिकृत उत्प्रबाह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकाशित सीधर लाइन/अन्तिम निरसारण बिन्दु तक संयोग की पाइप लाइन द्वारा इस प्रकार निरसारित किया जाये कि जल भराव की समस्या न रहें।
- ९— संस्था द्वारा सालिड वेस्ट, मैनेजमेन्ट प्रबन्धन बायोकम्पास्टिंग एवं रिसाइकलिंग द्वारा प्रेरणाओं के अनुलेप किया जाये।
- १०— समर्पित प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं को सांथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊर्चाई की चिन्ही भी स्थापित की जायें।
- ११— संस्था प्रस्तावनासार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
- १२— संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का उरित पटिटका के रूप में विकसित करें।
- १३— संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम, १९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्भत किया जा रहा है।
- १४— संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्प्रेक्ट असेसमेन्ट अथवारिटी से पर्यावरणीय कलीरेन्स प्राप्त किया जाये।
- १५— संस्था को निर्भत बैंक गारन्टी का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।
- १६— अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैंक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३०/७/२०१२ तक प्रथम अनुपालन आख्या जाता था प्रेषित जाए।
अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अत्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं

/एन. शो. श्री.

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र गजियाबाद
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गजियाबाद
4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्विंल— २)